पत्र संख्या–वनभूमि–16/2016 5061 व0प0

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 03/11/2016

विषय :– पलामू जिला में मेदिनीनगर वन प्रमंडल अंतर्गत ग्राम–हिसरा उर्फ पोखराहा में सरकारी पोलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना हेतु 2.58 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–593 दिनांक–01.06.2016, पत्रांक–719 दिनांक–18.07.2016 एवं पत्रांक–870 दिनांक–08.09.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में पलामू जिला में मेदिनीनगर वन प्रमंडल अंतर्गत ग्राम–हिसरा उर्फ पोखराहा में सरकारी पोलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना हेतु 2.58 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव की सम्यक समीक्षोपरांत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–11–09/98–FC दिनांक–25.02.2016 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सैद्धान्तिक सहमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202/1995 में दिनांक–28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 को पारित आदेश तथा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–FC दिनांक–05.02.2009 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप अपयोजित होनेवाली 2.58 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।

(iii) यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।

(iv) प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।

(v) प्रस्तावित अपयोजन में आवश्यकता पड़ने पर ही वृक्षो का पातन किया जायेगा तथा पातित होने वाली वृक्षों की अधिकतम संख्या–44 होगी। वृक्षों का पातन वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

(vi) भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(vii) परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।

O/C

(viii) अपयोजित होनेवाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

(ix) प्रस्तावित परियोजना में NBWL के Standing Committee की अनुशंसा प्राप्त कर ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

(x) उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

सैद्धांतिक सहमति के शर्तो के अनुपालन हेने के उपरांत अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

विश्वासभाजन

3/11/16

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वनभूमि–16/2016 5061 व0प0, राँची दिनांक– 03/11/2016

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची बंगला नं0–A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची–834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/16

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वनभूमि–16/2016 5061 व0प0, राँची दिनांक– 03/11/2016

प्रतिलिपि–सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/16

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वनभूमि–16/2016 5061 व0प0, राँची दिनांक– 03/11/2016

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/श्री जितेन्द्र नारायण, प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक, लातेहार–829206 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/16

सरकार के उप सचिव